न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या – 155/2025 (प्रार्थना पत्र)
दायर दिनांक – 18/12/2025
निर्णय दिनांक – 18/12/2025

अनवान

1. हरीराम पिता गिरधारी जाति गुर्जर निवासी भैरूखेड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।
अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

: : निर्णय : :

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है कि राजस्व ग्राम भैरूखेड़ा पटवार मण्डल मदारिया के खाता संख्या 35, 34, 36, 12 व 40 में सहखातेदारी भूमि स्थित है। उक्त खाते में प्रार्थी का नाम सरीराम पिता गिरधारी एवं श्रीराम पिता गिरधारी जाति गुर्जर दर्ज है जिसके स्थान पर प्रार्थी ने हरीराम पिता गिरधारी जाति गुर्जर शुद्धि कराए जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जांच हेतु तहसीलदार, देवगढ़ को अग्रेषित किया गया। तहसीलदार, देवगढ़ की जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम भैरूखेड़ा पटवार मण्डल मदारिया के खाता संख्या 35, 34, 36, 12, 40 में प्रार्थी का नाम सरीराम पिता गिरधारी एवं श्रीराम पिता गिराधारी दर्ज रिकॉर्ड है परन्तु आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम हरीराम पिता गिरधारी गुर्जर दर्ज है। अतः भैरूखेड़ा पटवार मण्डल मदारिया के खाता संख्या 35, 34, 36, 12, 40 में सरीराम पिता गिरधारी, श्रीराम पिता गिरधारी के बजाय हरीराम पिता गिरधारी गुर्जर दर्ज किया जाने की अनुशंषा की गई। इसी क्रम में हरीराम पिता गिरधारीलाल, हीरालाल पिता लालु के बयान लेखबद्ध किए गए। राजस्व रिकॉर्ड एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अतः उक्त दस्तावेजों के अवलोकन अनुसार प्रार्थी का हरीराम पिता गिरधारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

अतः धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए ग्राम भैरूखेड़ा पटवार मण्डल मदारिया के खाता संख्या 35, 34, 36, 12, 40 में सरीराम पिता गिरधारी, श्रीराम पिता गिरधारी के स्थान पर श्रीराम उर्फ हरिराम पिता गिरधारी तथा सरीराम उर्फ हरिराम पिता गिरधारी नाम दुरस्ती किए जाने की स्वीकृति दी जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। यदि कोई न्यायालय स्थगन या राजकीय हित प्रभावित होता है तो तदानुसार कार्यवाही की जावे, अन्यथा निर्णय अनुसार पालना की जावे। यदि रहन का अंकन है तो तद्नुसार अंकित रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मोहकमसिंह सिनसिनवार, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जिला राजसमन्द